जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 30.01.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 53/2024 धारा 308/323/504/506 भादवि से संबंधित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 30.01.2024 को वादिनी श्रीमती इकरा परवीन पत्नी आदिल निवासी ग्राम गोयली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी गयी कि कि दिनांक 29.01.2024 को अभियुक्तगण 1-जहिर पुत्र वजिर अहमद 2-सगीर पुत्र जहीर 3-गुड्डु पुत्र जहीर 4-शुऐब पुत्र जहीर निवासीगण ग्राम गोयली थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी व वादिनी के पति आदिल तथा ससुर बाबू खाँ साथ गाली-गलौच करते हुए लाठी डन्डो से मारपीट की गयी जिससे वादिनी के पति बेहोश हो गये। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 53/2024 धारा 308/323/504/506 भादवि बनाम जहीर आदि उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.01.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 53/2024 धारा 308/323/504/506 भादवि से संबंधित अभियुक्तगण 1.जहीर अहमद पुत्र वजीर अहमद 2.मौ0 सुहैल उर्फ गुड्डू पुत्र जहीर अहमद निवासी ग्राम गोयली थाना चान्दपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.जहीर अहमद पुत्र वजीर अहमद निवासी ग्राम गोयली थाना चान्दपुर जनपद बिजनौर
2.मौ0 सुहैल उर्फ गुड्डू पुत्र जहीर अहमद निवासी ग्राम गोयली थाना चान्दपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री हरवीर सिंह थाना चान्दपुर जनपद बिजनौर
2. का0 754 मुकेश कुमार थाना चान्दपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना रेहड़ **दिनांक – 30-01-2024**

थाना रेहड पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 16/2024 धारा 452/376D/506 भादवि व धारा ¾ पॉक्सो अधिनियम से संबंधित 02 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 29.01.2024 को वादी द्वारा थाना रेहड पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 26.01.2024 को गांव के ही दो युवकों द्वारा वादी की पुत्री के साथ गलत कार्य किया गया व जान से मारने की धमकी दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना रेहड पर मु0अ0सं0 16/2024 धारा 452/376D/506 भादवि व धारा ¾ पॉक्सो अधिनियम बनाम 02 बाल अपचारी पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.01.2024 को थाना रेहड पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 16/2024 धारा 452/376D/506 भादवि व धारा ¾ पॉक्सो अधिनियम से संबंधित 02 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बाल अपचारियों का नाम व पता –

02 बाल अपचारी

पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली टीम का विवरण–

1.उ0नि0 श्री नरेश कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर
2.हे0कां0 89 पुष्पेन्द्र थाना रेहड जनपद बिजनौर
3.कां0 1581 सूफीयान थाना रेहड जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नगीना देहात **दिनाँक 30.01.2024**

थाना नगीना देहात पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रो के निर्माण/बिक्री/परिवहन में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त नदीम पुत्र अकबर निवासी मौ0 पठानपुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0स0 29/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

नदीम पुत्र अकबर निवासी मौ0 पठानपुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरणः-

एक अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.हे0का0 31 अमित कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

2.का0 2020 विनय कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नूरपुर **दिनाँक 30.01.2024**

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 01/24 धारा 498ए/304बी भादवि व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेण अधिनियम में वांछित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 02.01.2024 को वादी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि वादी की पुत्री के साथ उसके ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर मारपीट करते रहते थे जिस कारण वादी की पुत्री की मृत्यु हो गई। तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 01/2024 धारा 498ए/304बी भादवि व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम शहजाद अहमद (पति) पुत्र कमल आलम निवासी मौ0 खद्दर बाजार राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर सहित कुल 07 अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्ता महमूना खातून पत्नी कमर आलम निवासी मौ0 खददर बाजार राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नोटः- स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग में नामित दो अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता :–

महमूना खातून पत्नी कमर आलम निवासी मौ0 खददर बाजार राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2.हे0का0 92 सतेन्द्र कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3.म0का0 943 शशी गोस्वामी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नजीबाबाद **दिनाँक 30.01.2024**

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 780/23 धारा 420/406/447/427/467/468/471 भादवि व धारा 2/3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 21.12.2023 को वादी श्री लेशवन्त कुमार पुत्र हरिराज सिंह निवासी मौ0 भवन थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण द्वारा ग्राम समाज की भूमि को योजनाबद्ध तरीके से कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर बैनामा कराकर खुर्दबुर्द किया गया तथा लोक सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई गयी । तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 780/2023 धारा 420/406/447/427/467/468/471 भादवि व धारा 2/3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम बनाम धनेश पुत्र लल्लू सहित 07 अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त धनेश पुत्र लल्लू सिंह निवासी ग्राम बिजौरी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

धनेश पुत्र लल्लू सिंह निवासी ग्राम बिजौरी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 कय्यूम अली थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2.हे0का0 614 सहदेव थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर **दिनांक – 30.01.2024**

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 32/2024 धारा 363 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 12.01.2024 को वादिनी द्वारा थाना किरतपुर पर तहरीर दी गयी कि अज्ञात अभियुक्त वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 32/2024 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्त अंकुश पुत्र रोहताश निवासी ग्राम हादीपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया। स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग से संबंधित अपहृता को पूर्व में ही सकुशल बरामद किया जा चुका है।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.01.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अंकुश पुत्र रोहताश निवासी ग्राम हादीपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अंकुश पुत्र रोहताश निवासी ग्राम हादीपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री आरिफ खान थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

2.हे0कां0 626 रविन्द्र कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

3.कां0 1107 सुधीर कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर **दिनांक – 30.01.2024**

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 60/2024 धारा 377 भादवि व धारा 67A आईटी एक्ट से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 30.01.2024 को वादिनी द्वारा थाना किरतपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त आशीष पुत्र राजेश जैन निवासी मौ0 महाजनान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने वादिनी की पुत्री जोकि मानसिक रूप से कमजोर है के साथ गलत काम किया तथा इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 60/2024 धारा 377 भादवि व धारा 67A आईटी एक्ट बनाम आशीष जैन उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.01.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 60/2024 धारा 377 भादवि व धारा 67A आईटी एक्ट से संबंधित अभियुक्त आशीष जैन पुत्र राजेश जैन निवासी मौ0 महाजनान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आशीष जैन पुत्र राजेश जैन निवासी मौ0 महाजनान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री विनीत कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

3.कां0 1780 सचिन थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांकः-30.01.2024**

जनपदीय पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में 09 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैर जमानती वांरट की तामील, वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.01.2024 को जनपदीय पुलिस द्वारा 09 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	नजीबाबाद	वाजिद पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी मौ0 रम्पुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद बिजनौर।
2	नजीबाबाद	मौ0 साजिद पुत्र अब्दुल वहीद निवासी मौ0 मुगलूशाह थाना नजीबाबाद बिजनौर।
3	नजीबाबाद	ऋषिपाल पुत्र भगीरथ निवासी ग्राम महावतपुर बिल्लौच थाना नजीबाबाद बिजनौर।
4	चाँदपुर	गौरव कुमार पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम बिराल थाना चांदपुर बिजनौर।
5	हीमपुर दीपा	हरपाल पुत्र थानी जाटव निवासी ग्राम लालवाल थाना हीमपुर दीपा बिजनौर।
6	मण्डावर	मुकेश पुत्र सुखवीर निवासी ग्राम कोहरपुर थाना मण्डावर बिजनौर।
7	शेरकोट	त्रिलोक पुत्र फूलसिंह निवासी ग्राम नागरपुर खडकसैन थाना शेरकोट बिजनौर।
8	नगीना	शाहिद खान पुत्र शौकिन निवासी ग्राम पखनपुर थाना नगीना बिजनौर।
9	नगीना	शिवा जोशी पुत्र गजे जोशी निवासी बिश्नोई सराय कस्बा व थाना नगीना बिजनौर।

थाना नजीबाबाद

थाना चांदपुर

थाना हीमपुर दीपा

थाना मण्डावर

थाना शेरकोट

थाना नगीना

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर दिनांकः- 30.01.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अभियुक्त को 01 वर्ष 01 माह के कठोर कारावास व 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

दिनांक 09.07.2018 को थाना नजीबाबाबद पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त इन्तजार पुत्र अय्यूब निवासी मौ0 मुबारकपुर कल्हेडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 200 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 426/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम इन्तजार उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 30.01.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-IV बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 426/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अभियुक्त इन्तजार पुत्र अय्यूब निवासी मौ0 मुबारकपुर कल्हेडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 01 वर्ष 01 माह के कठोर कारावास व 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

इन्तजार पुत्र अय्यूब निवासी मुबारकपुर कल्हेडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर दिनांकः- 30.01.2024

थाना चांदपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अभियुक्त को 01 वर्ष 01 माह के कठोर कारावास व 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

दिनांक 19.07.2020 को थाना चांदपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त मोती पुत्र नफीस अहमद निवासी मौ0 पतियापाडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 345 प्रतिबन्धित नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 371/20 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट बनाम मोती पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 30.01.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-IV बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 371/20 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अभियुक्त मोती पुत्र नफीस अहमद निवासी मौ0 पतियापाडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 01 वर्ष 01 माह के कठोर कारावास व 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

मोती पुत्र नफीस अहमद निवासी मौ0 पतियापाडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर **दिनांकः- 30.01.2024**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

दिनांक 30.03.2011 को अभियुक्तगण लोकेन्द्र पुत्र कमल सिंह निवासी ग्राम सैदपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर आदि के विरुद्ध थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 167/11 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 30.01.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-VI बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 167/11 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त लोकेन्द्र पुत्र कमल सिंह निवासी ग्राम सैदपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 02 वर्ष के कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

लोकेन्द्र पुत्र कमल सिंह निवासी ग्राम सैदपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नजीबाबाद **दिनांक 30.01.2024**

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक) पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही के संबंध में।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक) पर अभियुक्त सरताज पुत्र इसरार निवासी अलावलपुर नैनो थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा अपनी आईडी से आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी, जिसके स्क्रीनशॉट/पोस्ट आज दिनांक 30.01.2024 को ट्वीटर पोस्ट हुए।

जनपद में अपराध की रोकथाम व सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी/पोस्ट करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु सोशल मीडिया सेल व समस्त थाना प्रभारियों को दिये गये निर्देशों के क्रम में पोस्ट/वीडियो का संज्ञान लेते हुए आज दिनांक 30.01.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त सरताज पुत्र इसरार निवासी अलावलपुर नैनो थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को हिरासत में लिया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का नाम व पता –

सरताज पुत्र इसरार निवासी अलावलपुर नैनो थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ दिनांक – 30.01.2024

थाना अफजलगढ/शेरकोट पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने थाना अफजलगढ क्षेत्र में अवैध शराब के निष्कर्षण से संबंधित गतिविधियों की जानकारी हेतु ड्रोन कैमरा से चलाया सर्च अभियान।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण/विक्रय/परिवहन आदि गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध कच्ची शराब के निर्माण पर पूर्णतः अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.01.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी व क्षेत्राधिकारी, अफजलगढ के निर्देशन में थाना अफजलगढ / शेरकोट पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा थाना अफजलगढ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भिक्कावाला, जंगल गंगा खादर, पुराना कालागढ, मुरलीवाला, हिदायतपुर आदि गावं व संभावित स्थानो पर ड्रोन कैमरा व पुलिस बल की सहायता से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान अवैध शराब बनाने संबन्धी गतिविधि संचालित होना नही पाया गया। सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।

टीम का विवरण –

1. श्री धर्म सिहं मार्छाल, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी जनपद बिजनौर
2. श्रीमती अर्चना सिंह, क्षेत्राधिकारी अफजलगढ जनपद बिजनौर
3. श्री राजेश कुमार चौहान, निरीक्षक अपराध थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
4. श्री उपेन्द्र कुमार शुक्ल, आबकारी निरीक्षक धामपुर जनपद बिजनौर
5. वरि0उ0नि0 श्री श्रीपाल सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
6. उ0नि0 श्री नवीन कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
7. उ0नि0 श्री मुकेश राजौरा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
8. उ0नि0 श्री सुभाष थाना शेरकोट जनपद बिजनौर व पुलिस टीम थाना अफजलगढ/शेरकोट